

भारत सरकार
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
नाभिकीय पुनश्चक्रण वर्ग
ईंधन पुनःसंसाधन प्रभाग

ट्रांबे,

मुंबई-400 085

ई - निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा सूचना सं. : बीएआरसी /एफआरडी/ईटी/04/2025-2026 दिनांक 11.09.2025

निविदा आमंत्रण सूचना के ब्यौरे

- भारत के राष्ट्रपति की ओर से निविदा आमंत्रण प्राधिकारी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे, मुंबई-400 085 द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु **ई-निविदाकरण** के माध्यम से दो भागों में यथा: कवर-1 तकनीकी वाणिज्यिक बोली एवं कवर-2 वित्तीय बोली के रूप में एतद्वारा योग्य निविदाकारों से ऑनलाईन मद-दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

i)	कार्य का नाम	एफआरडी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), ट्रांबे, मुंबई-400085 में विद्युत प्रचालित स्टैनलेस स्टील रोलिंग शटरों का संविरचन, आपूर्ति, निरीक्षण, संस्थापना, परीक्षण एवं कमीशनन।
ii)	कार्य स्थान एवं पिन कोड	एफआरडी-भापअ केंद्र, ट्रांबे 400085
iii)	कार्य/उत्पाद श्रेणी	कार्य
iv)	निविदा आमंत्रणकर्ता प्राधिकारी	मुख्य अभियंता, एनआरजी
v)	आमंत्रणकर्ता अधिकारी का पता	ईंधन पुनःसंसाधन प्रभाग, भापअ केंद्र, मुंबई
vi)	प्राक्कलित राशि	₹९,८४,८८०.००/- + यथालागू जीएसटी
vii)	बयाना राशि	₹२३,२४४.००/-
viii)	निविदा दस्तावेज का मूल्य	शून्य।
ix)	निविदा प्रक्रिया शुल्क	शून्य।
x)	समाप्ति की अवधि	180 (एक सौ अस्सी) कैलेंडर दिवस मानसून अवधि सहित।
xi)	डाउनलोड हेतु निविदा दस्तावेजों की उपलब्धता की तारीख	दिनांक 26/09/2025 (16:00 बजे) से दिनांक 17/10/2025 (18:00 बजे) तक। डाउनलोड करने के लिए-कृपया CPPP वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर जाएं। विस्तृत एनआइटी केवल देखने हेतु www.barc.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।
xii)	बोली-पूर्व स्पष्टीकरण की आरंभिक तारीख	26/09/2025 (16:00 बजे)
xiii)	बोली-पूर्व स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख	06/10/2025 (11:00 बजे)
xiv)	स्पष्ट निरीक्षण तिथि एवं समय	दिनांक 06/10/2025 (14:30 बजे) को या इससे पूर्व
xv)	बोली-पूर्व बैठक की तिथि और समय	दिनांक 06/10/2025 (14:30 बजे)
xvi)	बोली-पूर्व बैठक का स्थान	अध्यक्ष का कार्यालय, एफआरडी, भापअ केंद्र, ट्रांबे, मुंबई-400085 / नॉर्थ गेट स्वागत कक्ष, भापअ केंद्र, मुंबई

xvii)	बोली प्रस्तुति आरंभ की तिथि	दिनांक 26/09/2025 (16:00 बजे)
xviii)	बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि	दिनांक 17/10/2025 (18:00 बजे)
xix)	ईएमडी के भौतिक रूप से प्रस्तुतीकरण की अंतिम तारी। ईएमडी को भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जाने का पता।	दिनांक 20/10/2025 को 16.00 बजे या इससे पूर्व ईएमडी को निम्नलिखित पते पर निर्धारित तिथि एवं समय से पूर्व प्रस्तुत / प्राप्त किया जा सकता है अध्यक्ष का कार्यालय एफआरडी, भापअ केंद्र, ट्रांबे, मुंबई-400085 या स्वागत कक्ष, नॉर्थ गेट, भापअ केंद्र में प्राधिकृत विभागीय प्रतिनिधि के समक्ष मूल दस्तावेजों को वरीयतः व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें। तथापि, डाक अथवा कूरियर द्वारा भेजे गए दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते कि वे निर्धारित तारीख एवं समय से पहले प्राप्त हो जाते हैं।
xx)	बोली खोलने की तिथि/भाग 'क' के ऑनलाइन खुलने की तारीख एवं समय	21/10/2025 (11.30 बजे)
xxi)	बोली खोलने का स्थान	अध्यक्ष का कार्यालय, एफआरडी, भापअ केंद्र, ट्रांबे, मुंबई-400085
xxii)	निविदा वर्ग	निविदा दस्तावेज़ के अनुसार
xxiii)	योग्यता प्राप्त बोलीकर्ताओं के भाग 'ख' के खुलने की तारीख	शुद्धि-पत्र के माध्यम से बाद में सूचित की जाएगी। (तिथि हेतु कृपया सीपीपी वेबसाइट https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर जाएं
xxiv)	निविदा वैधता तिथि (दिनों में)	180 (एक सौ अस्सी)

II. प्रारंभिक पात्रता मानदंड:

2. (i) बोलीकर्ता को, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) द्वारा जारी सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) का अनुपालन करना होगा। साथ ही, बोलीकर्ता को, बोली के साथ, विषयक निविदा द्वारा उपलब्ध करवायी जानेवाली सामग्री के% स्थानीय उत्पाद हेतु वचनबंध प्रस्तुत करना होगा।

(ii) 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता', 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' और 'गैर स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की परिभाषा के लिए सार्वजनिक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017 का संदर्भ लिया जाए। जब तक निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा अपलोड किए गए बोलीपूर्व स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया जाता है, कोई बोलीकर्ता इस निविदा में भाग लेने के लिए तब तक पात्र होगा यदि वे यह दर्शाने वाला एक वचनबद्ध प्रस्तुत करने में सक्षम हैं कि वे 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' हैं। जो बोलीकर्ता स्वयं को 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में पाते हैं, वे भी भाग ले सकते हैं, बशर्ते वे संबंधित सरकारी विभाग/मंत्रालयों से उचित नोटिंग/घोषणा के साथ स्पष्टीकरण मांगकर इसके लिए सुझाव दें और ऐसे सुझावों के आधार पर विभाग द्वारा अपलोड किया गया बोलीपूर्व स्पष्टीकरण 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' की पात्रता को दर्शाता हो। तथापि, विनिर्दिष्टानुसार ऐसे मामलों में वर्क्स के प्रापण के लिए मैनुअल-2022 में अनिवार्य प्रापण वरीयता का पालन किया जाएगा। जो बोलीकर्ता 'क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता' या 'क्लास-II स्थानीय आपूर्तिकर्ता' के रूप में वचनबद्धता प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें इस निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) बोलीकर्ता के पास निम्नलिखित होना चाहिए :

(क) निविदा खुलने की तारीख से पूर्व एक वर्ष के भीतर जारी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से कम से कम ₹ 4.65 लाख के बैंकऋण शोधन क्षमता प्रमाणपत्र।

(ख) दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वित्तीय टर्नोवर कम से कम ₹ 11.62 लाख होना चाहिए। यह एक पंजीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित

होना चाहिए और साथ ही पेशेवर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के पास विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) होना चाहिए।

(ग) 31 मार्च 2024 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान दो वर्ष से अधिक में घाटा (कर के पश्चात लाभ हुआ हो) नहीं हुआ होना चाहिए। किसी पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित लाभ हानि विवरण को ही इस प्रत्रता का प्रमाण माना जाएगा।

(घ) सभी पूर्ण किये गये समान कार्यों के निष्पादन प्रमाण-पत्र, जिन्हें समान कार्यों के अनुभव के रूप में उद्धृत किया गया है।

(च) जीएसटी, ईपीएफ (भविष्य निधि कोड के साथ) और ईएसआईसी के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र।

(छ) स्थायी खाता सं (पेन)।

3. बोलीकर्ता द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाने वाले महीने से पूर्व के महीने के अंतिम दिन को समाप्त होने वाले पिछले 7 (सात) वर्षों में कम से कम प्रत्येक ₹ 4.65 लाख के लागत के समरूप 03 (तीन) कार्य या कम से कम ₹ 6.97 लाख के लागत के समरूप के 02 (दो) कार्य या कम से कम ₹ 9.30 लाख के लागत के समरूप 01 (एक) कार्य संतोषजनक रूप से (कार्य के क्लायंट द्वारा निष्पादन प्रमाणपत्र पर आधारित) पूरा किया हो। निविदा प्रस्तुति की अंतिम तारीख से एक दिन पूर्व पूर्ण किए गए कार्य को भी मान्यता दी जाएगी और यदि केंद्र सरकार/राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों/केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में पात्र समरूप प्रकार के कार्य निष्पादित नहीं किए गए हों, तो उसके लिए बोलीकर्ता को आयकर अभिलेख से विवरण प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत किए गए विवरण/अभिलेखों से समरूप कार्य के लिए ग्राहक से बोली कर्ता को भुगतान की पुष्टि हो।

इस प्रयोजन हेतु "कार्य की लागत" का तात्पर्य है पूरे हुए कार्य की सकल लागत जिसमें सरकार/ग्राहक द्वारा आपूर्ति की गयी सामग्रियों की लागत शामिल हैं, लेकिन इसमें निःशुल्क आपूर्ति की गयी सामग्री शामिल नहीं होगी। योग्यता मानदंड के लिए समरूप कार्य का तात्पर्य "मोटराइज्ड रोलिंग शटर की आपूर्ति एवं स्थापना" है। समरूप कार्यों को भारत में निष्पादित किया जाना चाहिए।

4. निष्पादित कार्य के मूल्य को 7% प्रति वर्ष की सामान्य दर पर कार्य की वास्तविक मूल्य में वृद्धि करते हुए वर्तमान लागत स्तर तक लाया जाएगा जिसका परिकलन पूर्णता की तारीख से निविदाओं के लिए आवेदन प्राप्ति की आखिरी तारीख तक किया जाएगा।

5. ठेकेदार की बोली क्षमता निविदा में दिए गए कार्य की अनुमानित लागत के समतुल्य या उससे अधिक होनी चाहिए। बोली क्षमता की गणना हल निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाएगी।

$$\text{बोली क्षमता} = [A \times N \times 2] - B$$

जहां,

A = पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी एक वर्ष में निष्पादित कार्यों का अधिकतम मूल्य जिसमें पूर्ण कार्य तथा प्रगति पर कार्य दोनों को ध्यान में रखा जाएगा।

N = जिस कार्य के लिए बोलियां आमंत्रित की गई हैं उसकी पूर्णता के लिए निर्धारित वर्ष की संख्या।

B = विद्यमान प्रतिबद्धताओं एवं जिस कार्य के लिए बोली आमंत्रित की गई है उसकी पूर्णता की अवधि के दौरान पूर्ण होने वाले चालू कार्यों का मूल्य।

बोली क्षमता की गणना बोलीकर्ता द्वारा समर्थक डेटा के साथ किया जाएगा और सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। निविदा मूल्यांकन के दौरान काम पूरा होने/कार्य प्रदान के कारण उपरोक्त बोली क्षमता में परिवर्तन की सूचना भी बोलीकर्ताओं द्वारा दी जाएगी।

6. बोलीकर्ता भारत में एक पंजीकृत फर्म होना चाहिए।

II. सूचना :

7. निविदा दस्तावेज़ दो भागों में अर्थात् भाग 'क' निविदा दस्तावेज़ दो भागों में अर्थात् भाग 'क' (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) एवं भाग 'ख' (कीमत बोली) में तैयार किया गया है। भाग 'क' में : खंड I- सूचना ई-टेंडर आमंत्रित (अंग्रेजी और हिंदी संस्करण) खंड II- अनुबंध, ज्ञापन, के मार्गदर्शन केलिए समझौते के द्वितीय प्रपत्र और सामान्य नियम और निर्देश, खंड III-अनुबंध की सामान्य शर्तें, अतिरिक्त शर्तें, खंड IV-निविदाकारों के लिएविशेष निर्देश, खंड V-तकनीकी विनिर्देश, खंड VI-निविदा चित्र की सूची, खंड VII-अनुसूची ए (विभाग द्वारा पूर्ति की जाने वाली सामग्री की अनुसूची), परिशिष्ट 'बी'-प्रदर्शन सुरक्षा केलिए बीजी बॉन्ड का रूप, परिशिष्ट 'C'-सुरक्षित अग्रिम केलिए इंडेंट्योर (सिविल निर्माण कार्य के लिए लागू), परिशिष्ट 'D'-वॉटरप्रूफिंग कार्यों के लिए गारंटी बोंड (सिविल कार्यों के लिए लागू), परिशिष्ट 'E'-दीमक विरोधी उपचार के लिए गारंटी बोंड (सिविल कार्यों के लिए लागू), अनुलग्नक 'ए'- जनशक्ति और मशीनरी का विवरण, निविदा दस्तावेजों के सभी शुद्धिपत्र, अनुलग्नक 'बी'- निर्माण सामग्री के अनुमोदित निर्माता की सूची (सिविल कार्यों के लिए लागू) और अनुसूचियों 'ए' से 'एफ' का प्रोफार्मा शामिल है। भाग 'ख' (वित्तीय बोली) में अनुसूची 'बी'- मात्राओं की अनुसूची शामिल है। सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपे जाने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज़ अनुबंध का हिस्सा होंगे। सफल बोलीकर्ता को कार्य सौंपे जाने के बाद उपरोक्त सभी दस्तावेज़ अनुबंध का हिस्सा होंगे।

निविदा दस्तावेजों की प्राप्ति : भावी बोलीकर्ता या सामान्य जन उक्त दस्तावेजों को वेबसाइट www.barc.gov.in **►Tenders and NITs►Other Information** पर निःशुल्क देख सकते हैं एवं इसके पीडीएफ फार्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। बोलीकर्ता को दोनों वेबसाइटों का संदर्भ लेना चाहिए और निविदा दस्तावेजों का पूरा सेट प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। केवल एक साइट का देखने पर आंशिक निविदा दस्तावेज़ ही मिल सकता है।

III. सीपीपी वेबसाइट में ई -निविदाकरण के लिए दिशा-निर्देश

सीपीपी पोर्टल पर निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए, संभावित बोलीकर्ताओं को एक वैध Calss III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। निविदा की पात्रता मानदंड से संबंधित सभी दस्तावेज़ केवल सीपीपी पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नीचे दिए गए निर्देश बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करने और सीपीपी पोर्टल पर अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करने में सहायता करने के लिए हैं।
सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन बोलियां जमा करने के लिए उपयोगी अधिक जानकारी यहां से प्राप्त की जा सकती है : <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>

8. पंजीकरण:

- बोलीकर्ताओं को सीपीपी पोर्टल पर "ऑनलाइन बोलीकर्ता नामांकन" लिंक पर क्लिक करके केंद्रीय सार्वजनिक प्राप्ति पोर्टल (यूआरएल:<https://eprocure.gov.in/eprocure/app>) के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है। जो कि निःशुल्क है।
- नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में, बोलीकर्ताओं को एक विशिष्ट उपयोग कर्तानाम चुनना होगा और उनके खातों केलिए एक पासवर्ड असाइन करना होगा।
- बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपना वैध ईमेल पता और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। इनका उपयोग सीपीपी पोर्टल से किसी भी संप्रेषण हेतु किया जाएगा।
- नामांकन के बाद, बोलीकर्ताओं को अपने प्रोफाइल के साथ सीसीए इंडिया (जैसे कि sify/nCode/eMudhra आदि) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाण न प्राधिकरण द्वाराजारी अपने वैध

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (हस्ताक्षर कुंजी उपयोग के साथ तृतीय श्रेणी के प्रमाणपत्र) को पंजीकृत करने की आवश्यकता होगी।

- v. एक बोली दाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी/टोकन पंजीकृत किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं कि वे अपने डीएससी को दूसरों को उधार नहीं दें, जिससे दुरुपयोग हो सकता है।
- vi. बोलीकर्ता तब साइट पर सुरक्षित लॉग-इन के माध्यम से अपना यूजर आईडी/पासवर्ड और डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके लॉगइन करें।

9. निविदा दस्तावेजों की खोज़:

- i. विविध मानक के अनुसार से निविदा की खोज में बोली कर्ता की सहायता केलिए सीपीपी पोर्टल में खोज के कई विकल्प उपलब्ध करवाए गए हैं। इस मानक में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तारीख, मूल्य इत्यादि शामिल हैं। निविदाओं की प्रगत खोज के लिए भी एक विकल्प है जिसमें बोलीकर्ता एक से अधिक मानकों जैसे कि संगठन का नाम, संविदा का प्रकार, स्थान, तारीख अन्य की-बोर्ड इत्यादि का उपयोग करते हुए सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज कर सकते हैं।
- ii. जिस निविदा में बोलीकर्ता की रुची है, उसके चयन के पश्चात, वे आवश्यक दस्तावेज़ निविदा समय सारणी डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदा को संबंधित 'My Tenders' नाम के फोल्डर में संचियत किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप, निविदा दस्तावेज़ में शुद्धीपत्र जारी किए जाने की स्थिति में सीपीपी पोर्टल की ओर से एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से बोलीकर्ता को सूचना प्रेषित की जा सकेगी।
- iii. बोलीकर्ता, प्रत्येक निविदा को प्रदान की गई यूनीक निविदा आईडी को नोट कर ले ताकि हेल्प डेस्क से स्पष्टीकरण/ सहायता, यदि आवश्यक हो, तो वह सुगमता से प्राप्त हो सके।

10. बोलियों की तैयारी :

- I. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज़ के सबंध में प्रकाशित शुद्धीपत्र में उल्लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए निविदा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने चाहिए।
- II. कृपया बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को समझने के लिए निविदा विज्ञापन एवं निविदा दस्तावेज़ को ध्यान से पढ़ें। कृपया बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत कर ने हेतु लिफाफों की संख्या, प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज़ का नाम एवं विषय वस्तुसहित दस्तावेजों की संख्या नोट कर ले। उक्तबिंदु से किसी भी प्रकार का विचलन होने पर बोली को अस्वीकार किया जा सकता है। बोलीकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी भी डेटा/दस्तावेज़/पत्राचार के माध्यम से किसी भी मूल्य बोली की जानकारी का प्रकट नहीं किया जाए और मूल्य बोली खोलने की निर्धारित तिथि से पहले देखने के लिए उपलब्ध न हो। यदि कोई मूल्य बोली की जानकारी निर्धारित मूल्य बोली खोलने की तारीख और समय से पहले प्रकट की जाती है तो निविदा को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- III. बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज़/समय सारणी में यथा वर्णित, प्रस्तुत किए जाने वाले निविदा दस्तावेज़ पहले से ही तैयार करके रख लेने चाहिए तथा सामान्यतः ये दस्तावेज़ PDF / XLS / RAR / DWF/JPG फोर्मेट में हो सकते हैं। बोलीनिविदा दस्तावेज़ ब्लैक एडं क्वाइट विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कॅन कर लिए जाए ताकि स्कैन किए गए दस्तावेज का साइज कम हो सके।
- IV. प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले मानक दस्तावेजों के समान सेट को हर बार अपलोड करने में लगनेवाले समय एवं मेहनत से बचने के लिए, ऐसे मानक दस्तावेजों (उदाहरणार्थ पैनकार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र इत्यादि) को एक बारगी अपलोडिंग का प्रावधान बोलीकर्ता के लिए उपलब्ध करवाया गया है। ऐसै दस्तावेजों को अपलोड करने केलिए बोलीकर्ता उन्हे उपलब्ध कराए गए "My Space" या "Other Important Documents" जैसे एरिया का उपयोग कर सकते हैं। बोली प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "MySpace" एरिया से जमा किया जा सकता है तथा उन्हें बार-

बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इसके परिणामस्वरूप बोली प्रस्तुति प्रक्रिया में कम समय लगेगा।

टिप्पणी : My Documents"यह स्पेस केवल एक संग्रह क्षेत्र है जो बोलीकर्ता को अपलोडिंग प्रक्रिया में सहायता हेतु उपलब्ध करवाया गया है। यदि बोलीकर्ता ने "My Documents" स्पेस में अपने दस्तावेज़ अपलोड कर दिए हैं, तो इससे यह बात स्वतः सुनिश्चित नहीं हो जाती की ये दस्तावेज़ तकनीकी बोली का एक भाग हो चुके हैं।

11. बोलियों की प्रस्तुति :

- (i) बोलियां सीधीपी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएंगी।
- (ii) बोलीकर्ता को, पर्याप्त समय पूर्व वेबसाइट पर लॉगिन कर लेना चाहिए ताकि वे समय पर अर्थात् निर्धारित तारीख को या उससे पूर्व बोली को अपलोड कर सके। अन्य कारण से, किसी भी प्रकार के विलंब के लिए बोलीकर्ता जिम्मेदार होंगे।
- (iii) निविदा दस्तावेज़ में बताए अनुसार बोलीकर्ता को सभी आवश्यक बोली दस्तावेज़ों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे तथा एक-एक करके उन्हें अपलोड करनी होगी।
- (iv) यथा लागू निविदा शुल्क/ ईएमडी का भुगतान करने के लिए बोलीकर्ता को भुगतान विकल्प में "ऑफलाइन" का चयन करना होगा तथा भुगतान के माध्यम का विवरण भरना होगा।
- (v) बोलीदाता को निविदा प्रपत्र के विनिर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार यथा लागू अनुसार बयाना जमा तैयार करना चाहिए। इसकी मूल प्रति डाक/कुरियर/व्यक्तिगत तौर पर संबंधित कार्मिक को प्रस्तुति की अंतिम तारीख तक अथवा निविदा प्रपत्र के विनिर्देशों के अनुसार जमा करनी चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से भेजे गए डीडी/ भुगतान के किसी अन्य स्वीकृत माध्यम से किए गए भुगतान का विवरण स्कैन की हुई प्रति में उपलब्ध विवरण एवं बोली प्रस्तुति के समय भरे गए डाटा से मेल खाना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (vi) एजेन्सी को, कार्य से संबंधित बोली पूर्व स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, तो उसे डाउनलोड करना है और उसे (स्कैन की गई प्रति) मोहरसहित हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना है। संशोधित दस्तावेज़ (यदि कोई हो) को उन्हें ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुत करने का यह अर्थ होगा कि वे काम के पूरे दायरे को समझ गए हैं और विभाग द्वारा अपलोड किए गए पूर्व-बोली स्पष्टीकरण दस्तावेज़ के माध्यम से संशोधन सहित सभी निविदा शर्तों के पालन के लिए सहमत हैं।
- (vii) बोलीकर्ता कृपया ध्यान दे कि वे अपनी वित्तीय बोलियां, उन्हें उपलब्ध करवाए गए प्रारूप में ही प्रस्तुत करें तथा कोई अन्य प्रारूप स्वीकार्य नहीं होगा। यदि मूल्य की बोली को निविदा दस्तावेज़ सहित मानक BOQ प्ररूप के रूप में उपलब्ध करवाया गया है, तो सभी बोलीकर्ताओं द्वारा उसे ही डाउनलोड किया जाना है और उसमें ही विवरण भरना होगा। बोलीकर्ता को BOQ फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसे खोलना होगा एवं आसमानी रंग के खानों (परिवर्तनीय) में संबंधित वित्तीय कोट एवं अन्य विवरण (जैसे कि बोलीकर्ता का नाम) भरना होगा। किसी अन्य खाने में कोई परिवर्तन नहीं करना है। समस्त विवरण भरने के पश्चात्, बोलीकर्ता को फाइल सेव करनी चाहिए तथा फाइल का नाम अपरिवर्तित रखते हुए उसे ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। यह पाए जाने पर कि बोलीकर्ता द्वारा BOQ फाइल में परिवर्तन किया गया है, बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (viii) निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त समय पूर्व ही अपने दस्तावेज़ अपलोड कर ले ताकि सर्वर पर अंतिम समय पर होने वाली व्यस्तता या अपलोड करने में किसी प्रकार के जटिलता की स्थिति से बचा जा सके। दस्तावेज़ अपलोड करने के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाइयों जिसमें सर्वर एवं तकनीकी समस्याएं भी शामिल हैं, के लिए भापअ केंद्र किसी भी हाल में जिम्मेदार नहीं होगा।

(ix) बोलीकर्ताओं द्वारा बोलियां जमा करने, बोलियां खोलने आदि की समय सीमा को संदर्भित करने के लिए सर्वर समय (जो बोलीकर्ताओं के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है) मानक समय माना जाएगा। बोलीकर्ताओं को बोली जमा करने के दौरान समय का पालन करना चाहिए।

(x) नियत तारीख एवं समय (समय-विस्तार सहित) के पश्चात निविदा दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

(xi) डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेज़ों को पी के आई एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खुलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा भंडारण एन्क्रिप्शन किया जाता है। कोई भी बोलीदस्तावेज़ जो सर्वर पर अपलोड किया जाता है, सिस्टम द्वारा उत्पन्न समित कुंजी का उपयोग करके समित एन्क्रिप्शन के अधीन होता है। इसके अलावा यह कुंजी खरीदारों/बोली खोलने वाले की सार्वजनिक कुंजी का उपयोग करके असमित एन्क्रिप्शन के अधीन है। कुल मिलाकर, अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।

(xii) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ अधिकृत बोली खोलने वालों द्वारा निविदा खोलने के बाद ही पढ़ने योग्य हो जाते हैं।

(xiii) बोलियों को समय पर सफलतापूर्वक अपलोड करने पर (अर्थात् पोर्टल में “Freeze Bid Submission” क्लिककरने के पश्चात) पोर्टल पर सफल बोली प्रस्तुति का संदेश प्रदर्शित होगा तथा बोली संख्या तथा बोली प्रस्तुति की नियत तारीख एवं समय एवं अन्य संगत विवरण सहित बोली सारांश प्रदर्शित होगा।

(xiv) बोली सारांश मुद्रित किया जाना चाहिए और बोली प्रस्तुत करने की पावती के रूप में रखा जाना चाहिए। इस पावती का उपयोग किसी भी बोली खोलने की बैठक के लिए प्रवेशपास के रूप में किया जा सकता है।

(xv) इच्छुक बोलीकर्ता को यह सलाह दी जाती है कि वे बोली प्रस्तुति के अंतिम तारीख तक इस वेबसाइट को नियमित रूप से देखे ताकि वे, शुद्धिपत्र/अनुशोषण/संशोधन द्वारा वेबसाइट के माध्यम से निविदा में किए गए परिवर्तन/आशोधन संबंधी जानकारी के बारे में अद्यायित रहे।

(xvi) निविदा की कुछ वस्तुओं/सामग्री की तकनीकी विनिर्देश, बोलीकर्ताओं के लिए प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों से मिलान हेतु सामान्य सिफारिश और मार्गदर्शन के रूप में मेक और ब्रांड का सुझाव देती हैं। तथापि, बोलीकर्ता, प्रदर्शन मापदंडों और निविदा विनिर्देशों को प्राप्त करने के अधीन वैकल्पिक/समतुल्य मेक और ब्रांड का सुझाव दें सकते हैं, इस संबंध में वे प्रमाणित करने के लिए तकनीकी विवरण प्रदान करेंगे। सभी बोलीकर्ताओं के लिए समान अवसर और निष्पक्ष एवं न्यायसंगत प्रतिपादन सुनिश्चित करने के लिए और कार्य के निष्पादन के दौरान देरी से बचने के लिए, बोली जमा करने से पहले बोली-पूर्व स्पष्टीकरण चरण वैकल्पिक मेक/ब्रांड का सुझाव देने और जमा किए गए तकनीकी विवरणों के उचित सत्यापन के बाद अपलोड किए गए बोली-पूर्व स्पष्टीकरण दस्तावेज़ में विभाग द्वारा उसे मान्यता देने के लिए उपयुक्त चरण है। कार्य प्रदान करने के पश्चात, ठेकेदार द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक/समतुल्य मेक की स्वीकृति/अस्वीकृति (यदि कोई हो) बताने में लगने वाले समय के कारण होने वाली देरी के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। मदों/सामग्रियों के उच्च विनिर्देशन/प्रदर्शन के कारण अतिरिक्त लागत का भुगतान नहीं किया जाएगा।

12. बोलीकर्ताओं को सहायता:

1) निविदा दस्तावेज़ और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को निर्देशित किया जा सकता है।

2) निविदा दस्तावेज़ और उसमें निहित नियमों और शर्तों से संबंधित किसी भी प्रश्न को निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में इंगित संबंधित संपर्क कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्नों को 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्प डेस्क को निर्देशित किया जा सकता है।

शर्तें :

13. निविदा के भाग 'क' के खुलने के पश्चात, निविदा आमंत्रण प्राधिकारी एक निरीक्षण दल गठित कर सकते हैं जिसके द्वारा निम्नलिखित आधार पर निविदाकारों की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके:-
- ए) वित्तीय क्षमता अर्थात् बैंक ऋण शोधन क्षमता ।
बी) पिछले 3 या 4 वर्षों के दौरान टर्न ओवर ।
सी) पिछले 5 या 6 वर्षों के दौरान लाभ हानि ।
डी) समरूप कार्यों का सफल समापन और गुणवत्ता ।
ई) बोलीकर्ता का पैन, जीएसटी, ईएसआईसी प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण ।
एफ) निविदा दस्तावेज़ के परिशिष्ट डी के अनुसार स्थानीय सामग्री की घोषणा % में, साथ ही संबंधित दस्तावेज़ "यदि कोई हो " ।

बोलीकर्ताओं की पात्रता के संबंध में पुष्टिकरण के लिए विभाग द्वारा ई-मेल के माध्यम से अतिरिक्त/वैकल्पिक/प्रतिस्थापित दस्तावेज़ मांगे जाएंगे। इस प्रकार मांगे गए दस्तावेज़ पात्रता पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा प्रस्तुत किए जाए। यदि आवश्यक दस्तावेज़ अनुमत समय के भीतर उत्तर मेल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

14. विभाग कार्य को पूरा करने के लिए बोली लगाने वाले की क्षमता और तत्परता का भी आकलन करेगा और आवश्यक सुधारों पर प्रकाश डालेगा ।

- ए) कार्य के संबंध में कंपनी की तकनीकी क्षमता ।
बी) पिछले 7 वर्षों के दौरान निविदाकार द्वारा निष्पादित कार्यों का स्वरूप ।
सी) कंपनी की संघटनात्मक संरचना ।
डी) विषयगत कार्य को करने के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित आवश्यक संसाधन ।
ई) समय एवं गुणवत्ता सजगता ।
एफ) असंगत दावों और विवादों के बारे में कंपनी की प्रवृत्ति ।
जी) स्थल नियोजन क्षमता ।
एच) कार्य को बैंक टू बैंक/उप किराएदारी संबंधी कंपनी की प्रवृत्ति ।

15. भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में लागू सुरक्षा प्रक्रिया के अनुसार, कार्य शुरू करने से पहले भापअ केंद्र के सुरक्षा अनुभाग द्वारा ठेकेदारों की जांच की जाएगी ।

16. निविदा के कवर-1 के खुलने के बाद निविदा में किसी प्रकार के संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी

17. किसी शर्त या सशर्त छूट वाली निविदाओं को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तथापि, जिन निविदाओं में बिना किसी शर्त के छूट दी गई हो उन्हें स्वीकार किया जाएगा ।

18. भापअ केंद्र/पऊवि की निविदाओं में बोली लगाने वाले को भाग लेने से रोकना:

- (i) यदि आवेदक द्वारा दी गई कोई भी सूचना बाद में गलत पाई जाती है तो उन्हें भापअ केंद्र में भविष्य में निविदाकरण/कोई भी कार्य करने से विवर्जित (डीबारमेंट) रखा जाएगा। यदि कार्य शुरू करने से पहले भी किसी भी उल्लंघन की सूचना, विभाग को प्राप्त होती है तो प्रभारी अभियंता ईएमडी एवं निष्पादन गारंटी की संपूर्ण राशि

को पूर्ण रूप से जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि ऐसा उल्लंघन प्रदर्शन प्रतिभूति जमा करने के बाद विभाग के संज्ञान में आता है, तो भापअ केंद्र द्वारा प्रदर्शन गारंटी, ईएमडी (यदि जारी नहीं की गई है) की पूरी राशि को विवर्जन के अतिरिक्त ज़ब्त कर ली जाएगी।

(ii) एक बोलीदाता/ठेकेदार को भापअके/पऊवि में किसी भी खरीद/निविदा में भाग लेने से रोक दिया जाएगा, जैसा कि भापअके के सक्षम प्राधिकरण द्वारा तय किया गया है, यदि भापअके के सक्षम प्राधिकरण को लगता है कि बोलीदाता ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 के नियम 151 और 175 (1) या इसके संशोधन (ओं) [<https://doe.gov.in/ordercircular/general-financial-rules2017-0>]; और/या खंड 7.5 और कार्यों की खरीद नियमावली के उप-खंड (अध्याय 7) या इसके संशोधन (ओं) [<https://doe.gov.in/manuals/manual-procurement-works-updated-june-2022>]; और/या खंड 2.4 और उप-खंड (2) (अध्याय 2) परामर्श और अन्य सेवाओं की खरीद के लिए नियमावली 2022 या इसके संशोधनों [<https://doe.gov.in/divisions/manual-procurement-consultancy-other-services>] के तहत कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराया है। इस संबंध में, भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और बोलीकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

(iiiiii) बोलीकर्ताओं को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करना चाहिए कि क्या उन्हें किसी अवधि के लिए बोली लगाने से रोका गया है या किसी कार्य को निम्न प्रदर्शन के कारण समाप्त कर दिया गया है या उन्हें क्लाइंट एजेंसी द्वारा सूचित किया गया है कि किसी सरकारी, अर्ध-सरकारी क्लाइंट के संबंध में किसी कार्य को पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया गया है। भापअ केंद्र के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी तथा वे यह तय करेंगे कि बोली लगाने पर रोक वर्तमान कार्य के लिए लागू होता है या नहीं।

19. कार्य को पूरा करने की अवधि की गणना कार्य शुरू करने के लिए लिखित आदेश मिलने के 15वें दिन या साइट सुपुर्द किए जाने के पहले दिन से, जो भी बाद में हों से निविदा दस्तावेजों में यथा उल्लिखित, यदि कोई हो, चरणबद्ध तरीके के अनुसार होगी। कार्य के अधिनिर्णय के दौरान प्रारंभ की तारीख को संशोधित किया जा सकता है जिसे कार्य आदेश में सूचित किया जाएगा।

20. निविदा को निविदा के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण के बंद होने की आखरी तारीख से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों तक वैध रखा जाएगा।

21. यदि बयाना राशि 'ईएमडी' के मूल दस्तावेज की प्राप्ति और निविदा खोलने की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो संबंधित तिथि को अगले कार्य दिवस के लिए स्थगित माना जाएगा।

22. बयाना राशि के रूप में किसी अनुसूचित बैंक द्वारा लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई बैंक विवरण सहित (यदि आवश्यक हो तो), भारतीय स्टेट बैंक, भापअ केंद्र, ट्रांबे, शाखा आईएफएससी: SBIN0001268 के नाम से जारी किए गए आर्वाधिक जमा रसीद/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/ पे आर्डर की मूल प्रति प्रस्तुत की जानी होगी। बयाना राशि का एक भाग बैंक गारंटी के रूप में भी स्वीकार्य है। ऐसे मामले में, बयाना जमा की कम से कम 50% राशि अथवा ₹20.00 लाख, जो भी कम हो, उक्त निर्धारित रूप में होनी चाहिए तथा शेष राशि को निविदा दस्तावेज के परिशिष्ट-ए के अनुसार किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

इसके अलावा, ईएमडी की कागजी प्रति उक्त क्रमांक 1 में उल्लेख किए गए स्थान पर सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए। लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम तथा एनआईटी संख्या लिखी होनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मूल ईएमडी तथा निविदा स्वीकृति दस्तावेज वरीयतः व्यक्तिगत रूप से जमा किए जाने चाहिए। इन्हें गेट पर रखे छाँप बॉक्स में नहीं डाला जाना चाहिए। तथापि, डाक अथवा कुरियर से प्रेषित दस्तावेजों पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते वे क्रम सं. 1 में दिए गए उक्त पते पर निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर प्राप्त हुए हों। ईएमडी को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के भीतर ईएमडी प्रस्तुत न करने पर बोलीकर्ता की विलीय बोली को नहीं खोला जाएगा।

23. जिस बोलीकर्ता की निविदा स्वीकार की जाती है उसे BARCद्वारा स्वीकृति पत्र (LOA) जारी किया जाएगा। LOAप्राप्त होने के बाद, बोलीकर्ता को संविदा के निविदा मूल्य के 3% के बराबर राशि प्रदर्शन सुरक्षा के रूप में जमा करनी होगी और C द्वारा प्रदर्शन सुरक्षा स्वीकार करने के बाद, बोलीकर्ता को कार्य आदेश दिया जाएगा। स्वीकृति पत्र जारी करने की तारीख से प्रदर्शन गारंटी जमा करने के लिए अनुमत समय 15 दिन होगा। यह अवधि बोलीकर्ता के लिखित अनुरोध पर EIC द्वारा 1 से 15 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के 0.1% प्रति दिन की दर से विलंब शुल्क के साथ बढ़ाई जा सकती है। 3% की प्रदर्शन सुरक्षा बैंक गारंटी (यदि प्रदर्शन सुरक्षा 1.00 लाख रुपये से अधिक है), अनुसूचित बैंकों की सावधि जमा रसीदों या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जा सकती है। यदि स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है, तो एल 1 बोलीकर्ता की ईएमडी को प्रदर्शन सुरक्षा की स्वीकृति के बाद लौटाया/वापस कर दिया जाएगा। यदि स्वीकृति पत्र जारी नहीं किया जाता है तो एल1 बोलीकर्ता की ईएमडी BAद्वारा कार्य रद्द करने या प्रस्ताव की वैधता समाप्त होने के बाद, जो भी पहले हो, वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। एल2 और अन्य बोलीकर्ताओं की ईएमडीARC के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तुलनात्मक वित्तीय विवरण (सीएसटी) की स्वीकृति के बाद वापस कर दी जाएगी/लौटाई जाएगी। दो/तीन बोली प्रणाली के मामले में, तकनीकी बोली मूल्यांकन के दौरान असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी में तकनीकी बोली मूल्यांकन अपलोड करने के 30 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

24. बोलीकर्ता को अपने संविदा की उचित पूर्ति के लिए प्रतिभूति जमा के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगा, ऐसी राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5% (दाई प्रतिशत) होगी। प्रतिभूति जमा ठेकेदारों के चालू प्रतिभूति जमा बिल की सकल राशि से 2.5 % की दर से कटौती द्वारा तब तक वसूली जाएगी जब तक पहले ही जमा की गयी प्रतिभूति जमा के साथ उक्त राशि कार्य के निविदा मूल्य का 2.5 % हो जाए। प्रतिभूति जमा, सरकारी प्रतिभूतियां, अनुसूचित बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंक की आवधिक जमा पावतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। इन्हें **लेखा अधिकारी, भापअ केंद्र, मुंबई** के नाम पृष्ठांकित किया जाएगा।

25. यदि सफल निविदाकार कार्य प्रारंभ करने की अनुबंधित तारीख को या उससे पहले निर्धारित निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो विभाग (भापअ केंद्र) किसी अन्य अधिकार या उपाय पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के, उक्त बयाना राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर सकते हैं और मौजूदा जीएफआर के अनुसार आगे की रोक प्रक्रिया भी कर सकते हैं।

26. निविदा की स्वीकृति विभाग के पास सुरक्षित है जो सबसे कम मूल्य की निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है एवं इसके पास किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार है। वे सभी निविदाएं, जिनमें निर्धारित शर्तें पूरी न की गयी हों अथवा जो किसी भी वृष्टि से अपूर्ण होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

27. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की सिफारिश करना सख्त मना है, जो ठेकेदार सिफारिश करेगा उसकी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

28. निविदा स्वीकृत होने पर, ठेकेदार द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के नामों की सूचना प्रभारी अभियंता को दे दी जाए, जो प्रभारी अभियंता से निर्देश लेने के लिये जिम्मेदार होंगे।

29. विभाग समस्त निविदा अथवा निविदा के किसी भाग को स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं निविदाकार अपने द्वारा दी गयी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं।

- 30.
- जीएसटी का अर्थ होगा वस्तु एवं सेवा कर-केंद्र, राज्य और अंतर-राज्य।
 - अनुसूची-बी में उद्धृत सभी निविदा दरें जीएसटी रहित होंगी, लेकिन इसमें निविदा प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित (तिथि विस्तार सहित) पर लागू अन्य सभी कर, रॉयल्टी, लेवी या उपकर शामिल होंगे।

iii) इस कार्य संविदा पर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित लागू होने वाला जीएसटी, इस कार्य के लिए जीएसटी भुगतान के मूल दस्तावेजी प्रमाण के प्रस्तुत करने पर, भापअ केंद्र द्वारा प्रतिपूर्ति योग्य है। ईपीएफ और ईएसआईसी भुगतानों की प्रतिपूर्ति नीचे दिए गए खंडों के अनुसार की जाएगी। इस संविदा के लिए इनपुट या आउटपुट के संबंध में कोई अन्य कर, बीमा व्यय, प्रभारों बोलीकर्ता द्वारा देय होगा और सरकार इसके संबंध में किसी भी दावे को स्वीकार नहीं करेगी।

iv) बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जीएसटी की पालना करते हैं और उनकी उद्धृत कर संरचना/दरें जीएसटी नियम के अनुसार हैं।

v) ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल से जीएसटी पर 2% टीडीएस किए गए कार्य के सकल मूल्य के @1% की दर पर श्रमकल्याण उपकर काटा जाएगा।

vi) ठेकेदार को भुगतान किए गए प्रत्येक बिल में से आयकर एवं उपकर काटे जाएंगे।

vii) ठेकेदार को ईपीएफ और ईएसआईसी के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए तथा नियमानुसार अथवा यदि विभाग की मांग है तो ठेकेदार ठेके के कामगारों के ईपीएफ एवं ईएसआईसी भुगतान संबंधित विभाग को करेगा और जब विभाग इस बात से संतुष्ट हो जाए कि इसका भुगतान वास्तव में और सही रूप से कर दिया गया है तो विभाग ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति कर देगा। बोलीकर्ता अपनी दरों में ठेकेदार को सभी पात्र कार्मिकों/कामगारों/मज़दूरों के ईपीएफ और ईएसआईसी पर विचार नहीं करेगा।

ठेकेदार सभी पात्र कर्मचारियों/श्रमिकों/कामगारों के संबंध में ईपीएफ अधिनियम, 1952 के सभी प्रावधानों का पालन करेगा तथा प्रत्येक आरए बिल के साथ इसका दस्तावेजी प्रमाण नियमित रूप से जमा कराएगा।

viii) सरकारी निदेशों के अनुसार कोई अन्य कर/उपकर की कटौती, ठेकेदार को समय- समय पर भुगतान किए जाने वाले प्रत्येक बिल में से की जाएगी।

31. यदि कोई निविदाकार वैधता की अवधि से पहले निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की निबंधनों और शर्तों में ऐसे संशोधन करता है जो कि विभाग को मान्य न हो तो सरकार अन्य किसी अधिकार या कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संपूर्ण बयाना राशि की 50% (पचास प्रतिशत) धनराशि को ज़ब्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

इसके अतिरिक्त, निविदाकार को कार्य की पुनः निविदाकरण प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. सफल निविदाकार को कार्य सौंपने के पश्चात, ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समय सारणी एवं नकदी प्रवाह विवरण प्रस्तुत करेगा जो करार का एक भाग होगा।

33. जिन सफल निविदाकारों की निविदा स्वीकार की जाएगी उन्हें बीएआरसी के अंदर काम करने वाले अपने सभी कार्यकर्ताओं जैसे: इंजीनियरों, पर्यवेक्षकों एवं मज़दूरों का अपने खर्चे पर पुलिस की विशिष्ट शाखा द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र (पीवीसी) प्राप्त करना आवश्यक होगा और जिसे तदनुसार ही कोट किया जाए। पीवीसी तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा।

यदि सुरक्षा जांच के परिणामस्वरूप ठेकेदार/कंपनी/फर्म/मालिक और/अथवा उनके ठेके के कार्मिक के विरुद्ध कोई प्रतिकूल चार्टर और पूर्ववर्ती अभ्युक्तियाँ/ अधिसूचना प्राप्त होती है तो कोई कारण बताए बिना/कारण बताओं नोटिस दिए बिना ठेकेदार की सेवाएं दुरंत समाप्त करने का अधिकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास सुरक्षित हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा उक्त कार्रवाई के फलस्वरूप परिस्थितियों के तहत किसी नुक्सान/दायित्व हेतु दावे का अधिकार ठेकेदार के पास नहीं होगा। डीएई/बीएआरसी द्वारा समय-समय पर पऊवि/भापअ केंद्र द्वारा जारी सुरक्षा अनुदेशों के पालन/अनुसरण में ठेकेदार की ओर से होने वाली असफलता हेतु सरकार के अधिकार में मौजूद कार्यनिष्पादन सुरक्षा और/अथवा सुरक्षा जमा का कुछ भाग/पूर्ण भाग जब्त करने का अधिकार भी भापअ केंद्र के पास सुरक्षित है।

अनुदेशः

34. ठेकेदार <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> के साथ पंजीकृत होना चाहिए। जो ठेकेदार ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर पंजीकृत नहीं होंगे, उन्हें पंजीकृत होने की आवश्यकता है।
35. इच्छुक बोलीकर्ता के पास निविदा दस्तावेज़ (एक्सेल/वर्ड फार्मेट) को प्रापणने/डाउनलोड करने हेतु अनुरोध करने के लिए वैध क्लास-III डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए। अनिवार्य दस्तावेजों तथा ईएमडी/निर्धारित प्रारूप में विधिवत हस्ताक्षरित बोली प्रतिभूति घोषणा की स्कैन की गई प्रति को अपलोड करने के पश्चात ही बोली प्रस्तुत की जा सकती है।
36. उपरोक्त उल्लिखित समय तथा तारीख तक निविदाएं प्राप्त हो जानी चाहिए। उपरोक्त उल्लिखित समय एवं तारीख पर भाग 'क' (तकनीकी बोली) खोला जाएगा। कवर-। खोलने के पश्चात, मूल्यांकन के लिए ठेकेदार के जारी पूर्ण किए गए कार्य क्षेत्र एवं कार्यालय का निरीक्षण किया जाएगा और उनके दस्तावेजों से संबंधित तकनीकी वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन किया जाएगा और तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निविदाकारों को योग्य/अयोग्य घोषित किया जाएगा। तब योग्यता प्राप्त सफल निविदाकारों का निविदा का कवर-॥ (वित्तीय बोली) को अधिसूचित तारीख एवं समय पर खोला जाएगा। सीपीपी पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से सभी बोलीकर्ताओं को कवर-॥ (वित्तीय बोली) खुलने की तारीख सूचित की जाएगी।
37. वित्तीय प्रस्ताव/ वाणिज्यिक बोली/बीओक्यू प्रारूप इस निविदा दस्तावेज़ के साथ <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर BOQ_XXXX.xls के रूप में उपलब्ध कराया गया है। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस BOQ_XXXX.xls को वैसे ही डाउनलोड करें और अपने ऑफर/दरों को अनुमत कॉलम में उद्धृत करें और इसे वाणिज्यिक बोली में अपलोड करें। बोलीकर्ता किसी भीतरी के से डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट में छेड़छाड़/संशोधित नहीं करेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार से छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा।
38. निविदा खुलने की तारीख के दिन, ठेकेदार लॉग इन करके बोली खुलने के बाद उसकी स्थिति देख सकते हैं।
39. ठेकेदार को प्रत्येक वस्तु की दर कोट करना सुनिश्चित करना चाहिए। आंकड़ों में दर उद्धृत करने के लिए बनाया गया कॉलम 'स्कार्फ ब्लू' रंग में दिखाई देता है। किसी भी सेल का चयन करते समय एक चेतावनी अनिवार्य रूप से ऐसी सभी कोशिकाओं को किसी भी मान से भरने के लिए प्रकट होती है, जिसमें "0" (शून्य) शामिल है।

टिप्पणी : निविदा जमा करने से पहले सभी एनआईटी मानदंडों को पूरा करने के लिए संभावित एजेंसियों को खुद को संतुष्ट करना होगा। निर्धारित मानदण्डों को पूरा न करनेवाली एजेंसियों की निविदा पर विचार न करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

40. योग्य स्रोत देशः

भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के किसी भी बोलीकर्ता को सार्वजनिक प्रापण विभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, सरकार द्वारा जारी आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 1) और आदेश (सार्वजनिक प्रापण संख्या 2) का पालन करना होगा। भारत एफ.सं. 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23.07.2020 और समय-समय पर इसके परिशिष्ट के तहत। साथ ही, बोलीकर्ता को निविदा दस्तावेज़ के 'परिशिष्ट- एफ' में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। यदि इस तरह की घोषणा या प्रमाण पत्र बोली जमा करने के समय

या अनुबंध प्रदान करने के बाद किसी भी समय गलत या गलत पाया जाता है, तो उक्त अनुबंध को समाप्त कर दिया जाएगा, साथ ही ऐसी अन्य कार्रवाइयों के साथ जो भारत के प्रासंगिक कानून के तहत अनुमेय हो सकती हैं।

41. यह निविदा एक कार्य संविदा होने के कारण एमएसएमई फर्मों के लिए कोई वरीयता/छूट जून, 2022 में अद्यतन किए गए कार्यों का प्राप्त नियमावली के अनुसार इस निविदा पर लागू नहीं होती है।

42. मूल प्रति से स्कैन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची जिन्हें बोलीकर्ता द्वारा बोली प्रस्तुतीकरण की अवधि के भीतर अपलोड करना है:-

- i. पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित टर्नओवर जिस पर सीए का विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू.डी.आई.एन.) हो।
- ii. पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लाभ और हानि विवरण जिस पर सीए का वैध विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यू.डी.आई.एन.) हो।
- iii. नवीनतम बैंक ऋणशोधन क्षमता प्रमाणपत्र।
- iv. निर्माण संयंत्र एवं मशीनरी की सूची।
- v. तकनीकी कर्मचारियों की सूची।
- vi. प्रमाणपत्र:
 1. पंजीयन प्रमाणपत्र, यदि कोई हो तो।
 2. कार्य अनुभव प्रमाणपत्र/निष्पादन प्रमाणपत्र।
 3. जीएसटी पंजीकरण का प्रमाणपत्र।
 4. पैन (स्थायी खाता संख्या) पंजीयन
 5. ईपीएफ एवं ईएसआईसी के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र।
- vii. बोलीकर्ता के पत्रशीर्ष पर वचनबद्धता कि "पात्र समानकार्य किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैकटूबैक आधार पर निष्पादित नहीं किए गए हैं।
- viii. बोलीकर्ता को भाग ए के खंड ॥ और खंड - 11 अनुबंध की सामान्य शर्तें के अनुसार वचनबद्धता।
- ix. पिछले सात वर्षों में पूर्ण किए गए समान कार्यों की सूची जिसमें i) एजेंसी जिस के लिए निष्पादित किया गया है, ii) कार्य का मूल्य, iii) निर्धारित और पूरा होने का वास्तविक समय, iv) ग्राहकों से योग्य समान कार्यों का प्रदर्शन प्रमाण पत्र।
- x. चालू कार्यों की सूची दर्शाती है: i) एजेंसी ii) कार्य का मूल्य, iii) पूरा होने का निर्धारित समय / वर्तमान स्थिति।
- xi. वचनबद्ध/घोषणा-अनुलग्नक 1 से अनुलग्नक-4
- xii. किसी भी क्लाइंट फर्म द्वारा बोलीकर्ता के निम्न कोटि के प्रदर्शन के कारण प्रतिबंधित/काली सूची में डाले गए/समाप्ति के कार्यों की सूची। यदि ऐसा कोई प्रतिकूल मामला नहीं है तो एक शून्य सूची संलग्न की जाए। यदि कोई सूची प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यह माना जाएगा कि बोलीकर्ता इस बात की पुष्टि कि है कि उन्होंने ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं किया है।
- xiii. इस कार्य के लिए बयाना जमा राशि (ईएमडी)।

टिप्पणी : तकनीकी मूल्यांकन के दौरान लापता दस्ता वेज़, यदि कोई हो, निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

43. बोलीकर्ता को निम्नलिखित भरना आवश्यक है:

भाग-ए - ईएमडी के साथ तकनीकी - वाणिज्यिक बोली

जनशक्ति और मशीनरी का विवरण (अनुलग्नक 'ए' अनुसार) (यथा लागू)

भाग - 'बी' (वित्तीय बोली) (अनुसूची - बी)

44. ई-बैंक गारंटी (ई-बीजी) भी स्वीकार्य है और बैंक गारंटी के स्थान पर इसे वरियता दी जाती है।

टिप्पणियाँ:

1. इच्छुक एजेंसियां पंजीकरण और बोली जमा करने के लिए वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर जा सकती हैं।
2. निविदा दस्तावेजों से संबंधित सहायता/स्पष्टीकरण के लिए संपर्क: 022-25591178/7237
3. ई-निविदा में पंजीकरण और भागीदारी में सहायता के लिए संपर्क करें:
 - 3.1) 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क -0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787
 - 3.2) ई-मेल support-eproc@nic.in
4. बोलीकर्ता जो साइट पर जाना चाहते हैं, वे निम्नलिखित ईमेल आईडी पर विज़िटर के नाम और उनके आईडी विवरण (सरकार द्वारा जारी आईडी जैसे आधार कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/वोटर आईडी कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस, आगंतुक के विवरण के साथ ईमेल करेंगे। बीएआरसी का दौरा करते समय मूल आईडी साथ लाना है)
5. निविदा दस्तावेजों से संबंधित साइट विजिट/स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध भेजने के लिए ईमेल आईडी

सेवा में: akgautam@barc.gov.in

प्रतिलिपि: arunpat@barc.gov.in

6. यदि एनआईटी के अंग्रेजी एवं हिंदी पाठ के बीच कोई अंतर हो तो अंग्रेजी पाठ को सही माना जाए।

अभियंता अमित गोतम

30/01/2018

मी अभियंता
16.9.18

मुख्य अभियंता
नाभिकीय पुनःचक्रण वर्ग
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से

डॉ. जी सुगीलाल / Dr. G. S. GILAL
सह. निदेशक, नाभिकीय पुनःचक्रण वर्ग
Associate Director, Nuclear Recycle Group
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
Dr. Bhabha Research Centre
Mumbai - 400 085

निविदा स्वीकृति पत्र
(कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए।)

दिनांक :

प्रति,
मुख्य अभियंता
नाभिकीय पुनःचक्रण वर्ग
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ट्रांबे, मुंबई-400 085

विषय : निविदा की शर्तें एवं निबंधनों की स्वीकृति ।

निविदा संदर्भ सं.: BARC/FRD/ET/XX/2025-2026 दिनांकित 25/08/2025

निविदा/कार्य का नाम :- एफआरडी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी), ट्रांबे, मुंबई - 400085 में वैद्युत प्रचालित स्टैनलेस स्टील रोलिंग शटरों का संविरचन, आपूर्ति, निरीक्षण, संस्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग ।

प्रिय महोदय,

1. मैंने/हमने उपर्युक्त निविदा/कार्य के लिए आपके विज्ञापन में दिए गए अनुसार उपर्युक्त वेबसाइट (वेबसाइटों) <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> और www.barc.gov.in से निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड/प्राप्त कर लिए हैं।

2. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैंने/हमने निविदा दस्तावेज़ों के सभी नियम और शर्तों को पढ़ लिया है जो अनुबंध समझौते का हिस्सा होंगे और मैं/हम इसमें शामिल नियमों/शर्तों/खंडों का पालन करेंगे।

3. इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय आपके विभाग/संगठन द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया है।

4. मैं/हम एतद्वारा उपर्युक्त निविदा दस्तावेज़/दस्तावेज़ों/शुद्धिपत्र/शुद्धिपत्रों की निविदा शर्तों को उसकी संपूर्णता/समग्रता के साथ बिना शर्त स्वीकार करता हूं/करते हैं।

5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

या

डिबार/ब्लैकलिस्टिंग के मामले अलग से संलग्न हैं।

6. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे फर्म द्वारा प्रस्तुत की गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है तथा इस जानकारी के गलत/मिथ्या होने पर या उल्लंघन पाए जाने पर विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई सहित अन्य किसी अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आपका विभाग/संगठन कोई भी नोटिस दिए बिना या कारण बताए बगैर बोली को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर देगा या ठेके को समाप्त कर देगा।

भवदीय,
(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

(कंपनी के पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाए)

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206 एवं के अनुसार बचन

तत्काल दो पूर्ववर्ती वर्षों से आयकर रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि की घोषणा।

मैं, _____ [नाम], व्यक्ति/मालिक/साझेदार/निदेशक/अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता की हैसियत से _____ [इकाई का नाम] पैन
_____ के साथ, आय अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आवश्यक के रूप में
निम्नलिखित घोषणा करता हूँ (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित):

1. कि मैं/हम व्यक्तिगत/मालिक/साझेदार/निदेशक के रूप में यह घोषणा करने के लिए अधिकृत हूँ/हैं।
2. मैं/हम इसके द्वारा घोषित और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम आईटी अधिनियम की धारा 206 एवं के प्रदान की गई 'निर्दिष्ट व्यक्ति' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।
3. मैंने/हमने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार नियत तारीख के भीतर वित्तीय वर्ष 2023-2024 एवं 2024-2025 के लिए आय की विवरणी विधिवत दाखिल की है - हाँ/नहीं (जो लागू न हो उसे काट दें)
4. यदि रिटर्न भरा गया है तो विवरण इस प्रकार हैं:

5. मैं/हम, _____ जिनके पास पैन _____ है,
एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि धारा 206 एवं का प्रावधान मेरे/हमारे मामले में लागू नहीं है क्योंकि मैं/हम आयकर रिटर्न भरने में नियमित हैं/हैं। पावती संख्या और पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख का विवरण (दस्तावेजों के प्रमाण के साथ) नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष / (आकलन वर्ष)	फाइल करने की तिथि	आयकर रिटर्न आईटीआर पावती संख्या
1	2023-2024 / (2024-2025)		
2	2024-2025/(2025-2026)		

6. मैं/हम उपरोक्त जानकारी की गलत रिपोर्टिंग के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी कर, ब्याज, दंड आदि सहित किसी भी हानि/दायित्व के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं।

उपरोक्त सभी अभ्यावेदन सत्य और सही हैं, और हम/मैं इसके समर्थन में किसी भी समय आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।

की ओर से _____

<< अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम >>

<< पदनाम >>

संस्था का नाम:

फर्म/एजेंसियों द्वारा जीएसटी वचनबद्धता

(कंपनी के पत्रशीर्ष पर दिया जाए)

निविदा/कार्य का नाम:

प्रिय महोदय,

1. मैं/हम बोली लगाने वाले जीएसटी के तहत पंजीकृत हैं और जीएसटी के उपबंधों का पालन करते हैं।
2. जीएसटी उपबंधों का अनुपालन न करने और किसी भी इनपुट क्रेडिट में रुकावट के मामले में, बोली लगाने वाला भापअ केंद्र को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार होगा।
3. बोली लगाने वाले द्वारा सभी इनपुट क्रेडिट भापअ केंद्र को दे दिए गए हैं।

स्थान:

तारीख:

भवदीय,

(आधिकारिक मुहर के साथ बोलीकर्ता के हस्ताक्षर)

बोलीदाता द्वारा स्थानीय सामग्री प्रमाणन

निम्नलिखित घोषणा को तकनीकी बोली के साथ कंपनी के पत्रशीर्ष पर निम्नवत प्रस्तुत किया जाएः

निविदा/कार्य का नामः

प्रिय महोदय,

“मैं/हम _____ (बोलीकर्ता का नाम) वचन देते हैं कि हम निविदा संख्या _____ के लिए पीपी-एलसी पॉलिसी के अनुसार ‘श्रेणी । स्थानीय आपूर्तिकर्ता’ हेतु अर्हक होने की अनिवार्य ‘स्थानीय सामग्री’ (एलसी) की आवश्यकता को पूरा करते हैं। बोली में स्थानीय सामग्री का प्रतिशत _____ % है।”

प्राधिकृत बोलीकर्ता के दिनांकित हस्ताक्षर

परिशिष्ट-एफ

पात्र स्रोत देशों हेतु प्रमाणपत्र का प्रपत्र

(बोलीकर्ता के पत्र शीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है)

मैंने/हमने..... (बोलीकर्ता का नाम) , भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीकर्ता से प्रापण पर प्रतिबंध संबंधी एनआईटी खंड को पढ़ लिया है तथा मैं/हम ऐसे देश से नहीं हैं या ऐसे देश से हैं (देश का नाम लिखें.....) जो सक्षम प्राधिकारी के अधीन पंजीकृत हैं तथा वैध पंजीकरण के प्रमाणस्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र इसके द्वारा प्रस्तुत करते हैं।

मैं/हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि मैं/हम इस संबंध में समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण कर रहे हैं तथा एनआईटी खंड के अनुसरण में बोलीकर्ता के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र हैं ।

मैं/हम नियोक्ता के इस अधिकार को भी स्वीकार करते हैं कि यदि बोलीकर्ता ऊपर उल्लेखित देश से हैं तथा उन्होंने अपनी बोली के साथ उक्त प्रमाणपत्र संलग्न नहीं किया है, तो नियोक्ता द्वारा बोलीकर्ता को अयोग्य माना जायेगा।

मैं/हम नियोक्त के इस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि बोलीकर्ता द्वारा गलत घोषणा या प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर, कानून के तहत अनुमेय अन्य कार्रवाइयों सहित बोलीकर्ता की प्रतिभागिता पर पाबंदी लागा दी जायेगी।

बोलीकर्ता के हस्ताक्षर